न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 24/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.गोपाल सिह पुत्र प्रतापसिह 02.जितेन्द्रसिह पुत्र प्रतापसिह 03.महेन्द्रसिहपुत्र प्रतापसिहजाति राजपूत 04.अमराराम पुत्र नारायणराम 05.कालुराम पुत्र बीजाराम 06.फरसाराम पुत्र बीजाराम 07.भेराराम पुत्र बीजाराम 08.मंगलाराम पुत्र बीजाराम 09.मालाराम पुत्र बीजाराम 10.मोहनराम पुत्र बीजाराम 11.हाउराम पुत्र बीजाराम 12.पांचाराम पुत्र भगाराम 13.मानाराम पुत्र भगाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासीगण ग्राम राजनगर खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी जोधपुर।		01.घासीराम पुत्र हापुराम जाति कुम्हार प्रजाप्रति निवासी पाबुपुर कुम्हारान् तहसील लूणी 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिह राजपुरोहित उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 10/06/2024

प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थी संख्या 1 से 3 के खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 24 रकबा 3.6422 हैक्टर वाके ग्राम राजनगर पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी मे आई हुई है उक्त खेत खसरा नम्बर 24 मे अपने खेत एव खेत मे बनी ढाणी के स्थाई निवासी है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 4 से 11 की खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 22 रकबा 3.8850 हैक्टर वाके ग्राम राजनगर पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी मे आई हुई है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 12 की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 581/23 रकबा 1.4343 हैक्टर 583/5 रकबा 583/5 रकबा 2.9737 हैक्टर एव खेत खसरा नम्बर 592/84 रकबा 2.3931 हैक्टर वाके ग्राम राजनगर पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान मे आई हुई है इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 13 के खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 2.4605 हैक्टर वाके ग्राम राजनगर पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान मे आई हुई हैं। उपरोक्त प्रार्थी के खेत मे प्रार्थी की रहवासीया ढाणियो बनी हुई है उपरोक्त ढाणी मे प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है एव अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मे शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करते आ रहे है। प्रार्थी संख्या 12 पांचाराम ने अपनी सुविधा एव आगे के खसरो की सुविधा के लिये अपनी भूमि मे से राज्य सरकार मे रास्ता समर्पण कर दिया जिस सम्बध मे खसरा नम्बर 580/3, 582/5 एव 591/84 की भूमि गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है प्रार्थी संख्या 12 पांचाराम के खसरा नम्बर 592/84 से पूर्वी दिशा मे लगातार कमश खसरा नम्बर 593/84, 589/83 की भूमि है उक्त खसरो मे प्रार्थी संख्या 12 द्वारा राज्य सरकार मे रास्ता समर्पण किया जा चुका है इसी प्रकार उक्त खसरा नम्बर 589/83 के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

आगे पूर्वी ओर प्रार्थी संख्या 13 मानाराम की भूमि आई हुई है एव उक्त खसरा नम्बर 82 के उतरी माठ के चिपते हुए प्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि खेत खसरा नम्बर 24 की भूमि आई हुई है जिसमे रहवासीय मकान बना हुए है इसी प्रकार खसरा नम्बर 82 के उत्तरी माठ के चिपते ही प्रार्थी सख्या 12 पांचाराम का खेत खसरा नम्बर 581/23 की भूमि आई हुई हैं इसी प्रकार खसरा नम्बर 592/84 से आगे पूर्वी दिशा की और कमश खसरा नम्बर 593/84, 589/83, 82, 581/23 एव खसरा नम्बर 24 की भूमि है उक्त खसरो के प्रार्थीगण खातेदार है एव रास्ता हेतु सभी सहमत एव रजामन्द है उक्त खसरा नम्बर 592/84 के पश्चिमी दिशा मे अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खेत खसरा नम्बर 5/2 एव 85 की भूमि आई हुई है उक्त खसरा नम्बर 5/2 एव 85 की भूमि मे से प्रार्थीगण शुरू से खसर नम्बर 592/84 की भूमि मे प्रवेश कर आगे से आगे अन्य खसरो मे जाते थे जो कि पूर्वजो के समय से आते रहे है जिसके कदीमी निशान आज भी मौके पर मौजूद है। अप्राथी संख्या 01 की भूमि खेत खसरा नम्बर 5/2 एव 85 की भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर से तालाब की भूमि आई है शुरू से प्रार्थीगण उक्त तालाब की भूमि मे पानी पैदल एव टेकरो के माघ्यम से खसरा नम्बर 5/2 एव 85 की भूमि मे से होकर अपने खेत मे लाते आये है जिसमे कभी किसी ने बाधा रूकावट या अडचन पैदा नही की हैं अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 5/2 एव 85 मे से आने वाले रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे एव ढाणी मे तथा पडौसियो के खेतो मे जाने हेतु कोई अन्य नजदीकी रास्ता उपलब्ध नही है लेकिन जनवरी माह मे अप्रार्थी संख्या 01 ने उनके खसरा नम्बर 5/2 एव 85 मे आने वाले रास्ते को बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण का भारी कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है एव प्रार्थीगण के परिवार के बच्चे विघालय मे भी पढने हेतु नही आ पा रहे हे एव न ही प्रार्थीगण अपने पशुओ एव अपने खेत मे आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग नही कर पा रहा है एव न ही प्रार्थीगण तालाव से अपनी रहवासीया ढाणियो मे पानी ला पा रहे है। उक्त रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। इन तमाम परिस्थितियों मे प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भूअ/2024/554 दिनांक 22/02/2024 के प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई प्रकरण मे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिसल हैं। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

पत्रावली मे बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज ... दिनांक 05.02.2024 के अनुसार प्रार्थीगण को अपने

खेत मे जाने के लिए खसरा संख्या 5/2 मे से चौडाई 20 फीट का रास्ता जो कि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः—प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 05.02.2024 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 5/2 मे राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान के रूप मे दर्शित किया है उसे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे मौके पर कायम करे। एव प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो मौका फर्द दिनाक 05.02.2024 मे अंकित है वह प्राथीगण द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डी,डी बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की जावे। एवम्र मौका फर्द दिनांक 05.02.2024 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner